

समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



कैबल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार

☎ : 06452-230581(0) 06452-230584(R)
☎ : 91-9473191375 फॅक्स : 06452230880
E-mail : d-m-katihar@nic.in

--: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1252/आ०प्र० दिनांक-06.04.2020 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002--NA, विपत्र कोड 39-2245021010002 (युनिट कोड-2103, आहार एवं पथ्य), मांग संख्या 39, विस्तृत शीर्ष-21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष-03-आहार/पथ्य के अन्तर्गत Allotment ID-19382, द्वारा मो० 25,00,000.00 (पचीस लाख) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने वर्तमान में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1210/आ०प्र० दिनांक-31.03.2020, 1218/आ०प्र० दिनांक-01.04.2020, 2112/आ०प्र० दि०-14.07.2019, 3174/आ०प्र० दिनांक-24.08.2016 एवं जिला पदाधिकारी का पत्रांक-388 दिनांक-31.03.2020 के आलोक में खाद्यान्न की आपूर्ति इकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिलान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त आपदा राहत केन्द्र/सीमा आपदा राहत केन्द्र एवं गाँवों के विद्यालय के Quarantine केन्द्र में संचालित सामुदायिक रसोई (Community Kitchen) में प्रभावितों को खिलाये जाने वाले पका भोजन/भोजन सामग्री में हुए/होनेवाले व्यय का भुगतान/समायोजन के लिए निर्गत किया जा रहा है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को दिनांक 15.03.2021 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2021 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचल/नगर निगम का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245-02-101-0002-NA, खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड 39-2245021010002 (युनिट कोड-2103, आहार एवं पथ्य) मांग संख्या-39 के अन्तर्गत उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष राशि)
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	अंचल पदाधिकारी, कटिहार	25,00,000/-	-	1,40,000.00	1,40,000.00	6,00,000/-
2	अंचल पदाधिकारी, हसनगंज		-	70,000.00	70,000.00	
3	अंचल पदाधिकारी, डडखोरा		-	50,000.00	50,000.00	

4	अंचल पदाधिकारी, कोढा	-	1,00,000.00	1,00,000.00
5	अंचल पदाधिकारी, फलका	-	1,80,000.00	1,80,000.00
6	अंचल पदाधिकारी, रामली	-	50,000.00	50,000.00
7	अंचल पदाधिकारी, बरारी	-	2,00,000.00	2,00,000.00
8	अंचल पदाधिकारी, कुर्सेला	-	70,000.00	70,000.00
9	अंचल पदाधिकारी, प्राणपुर	-	1,00,000.00	1,00,000.00
10	अंचल पदाधिकारी, मनसाही	-	50,000.00	50,000.00
11	अंचल पदाधिकारी, मनिहारी	-	2,50,000.00	2,50,000.00
12	अंचल पदाधिकारी, अमदाबाद	-	1,50,000.00	1,50,000.00
13	अंचल पदाधिकारी, आजमनगर	-	2,50,000.00	2,50,000.00
14	अंचल पदाधिकारी, कदवा	-	1,30,000.00	1,30,000.00
15	अंचल पदाधिकारी, बलरामपुर	-	60,000.00	60,000.00
16	अंचल पदाधिकारी, बारसोई	-	50,000.00	50,000.00
कुल योग		-	19,00,000.00	19,00,000.00

25,00,000/-

6,00,000/-

(नोट - नगर निगम अन्तर्गत संचालित सामुदायिक रसोई/आपदा राहत केन्द्र का व्यय अंचलाधिकारी, कटिहार द्वारा किया जायेगा, उपावंटन में राशि निहित है।)


मौ० (उन्नीस लाख) रूपये मात्र।

८०/२

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक... ५३ / आ०प्र० II - 25/2020, दिनांक... 10/11/2020

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदा० (स्थापना), शिक्षा विभाग, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करके हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
कटिहार।